

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे,
 निदेशक,
 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
 कैसर अस्पताल 3081, नयाबाद,
 कोलकाता-700094

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध मे।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे लिये गये निणय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	अलीसान आजमी पिता— मो० फिरोज आलम ग्राम+पो०— निशदा थाना— बहादुरगज जिला— किशनगञ्ज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /	

नोट— चेक—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कैसर अस्पताल के नाम से निर्गत।

- 2 उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपया का क्रास चेक स0. 196860.
 मूल रूप मे सलग्न है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-
 (डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
 निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ९३१(५)

पटना, दिनांक ०२/४/२०२५

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक अमृत
Signature

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल
डब्ल्यू-3, सेक्टर-1
वैशाली, गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनाक

विषय- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 26.03.2025 की बैठक मे लिये गये नियम के अनुरूप आपके सर्वानन्द मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सरिता देवी पति- सजय कुमार ग्राम- हरी जी का हात्ता डुमराँव पो+थाना- डुमराँव जिला- बक्सर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 1,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक द्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 602014099405 खाता धारक का नाम-क्रासले रेमिडीज लिं0” खाते का प्रकार- Overdraft Account बैंक का नाम-INDUSIND BANK शाखा का नाम-डा0 गोपाल दास भवन 28 बारखम्बा रोड नई दिल्ली-110001 RTGS/ IFSC कोड स0 INDB0000005 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले मे स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय द्व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ९१५(१४)

पटना, दिनांक

०२/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० १९६८६१ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आईटी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
४/५/२५



स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
 मेदान्ता द मेडिसिटी,
 सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,
 पिन-122001

पटना, दिनाक ...

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनाक 26.03.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सैल देवी पति— बृजकिशोर सिंह ग्राम— कौसड पो०— गभीरार थाना— रघुनाथपुर जिला— सिवान	हृदय रोग 2 स्टेन्ट	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196861 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-106905001433, खाता धारक का नाम— ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल— दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—ICICI Bank, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड स0 ICIC0001148 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 916 (14)

पटना, दिनांक

02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय रेटेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं- 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मरीज, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,

PARK MEDICENTERS & INSTITUTIONS PVT. LTD.,
Q Block, South City - II,
Sohna Road, Sector -47,
Gurgaon Haryana.

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	ऋषभ कुमार पिता— जयप्रकाश प्रसाद ग्राम— सीतलपुर बाजार पो०— सीतलपुर थाना— दिघवारा जिला— सारण	द्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0- 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0 918020092983290 खाता धारक का नाम— PARK MEDICENTERS AND INSTITUTIONS PVT LTD, खाते का प्रकार— चातु, बैंक का नाम— AXIS BANK LTD, शाखा का नाम— MALIBU TOWN, SECTOR HR, GURGAON, RTGS/IFSC कोड स0 UTIB0003942 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबैधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 7 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक ०२/०१/२०२५

ज्ञापाक १७(१५)

प्रतिलिपि—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.196.66/ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक

Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सराय में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	मानोन यादव पिता— कैलाश यादव ग्राम— खैरटवा पो— रजवटिया थाना— बगहा जिला— पश्चिम चम्पारण	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रु0 के भुगतान के लिए आपके सराय/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सराय/अस्पताल के खाता स0- 41120248418, खाता धारक का नाम— MEDANTA HOLDINGS PRIVATE LIMITED, खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड स0- SBIN0004298 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/च्छदम नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

~

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को रूपास करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 9/8(14)

पटना, दिनांक

02/04/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं- 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे,
 निदेशक,
 सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
 राय बरेली रोड, लखनऊ, 226014

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	भीम तिवारी पिता— कृपा तिवारी ग्राम+पो— मलाही थाना— मलाही जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर नं— 20231038308	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	भरत लाल पिता— बिजेद्र प्रसाद ग्राम— ढिबरापार पो— मई थाना— हिलसा जिला— नालदा सीआर नं— 2016825665	Stress Urinary Reconstructive Surgery	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पिटू सिंह पिता— राजेद्र सिंह ग्राम— लोहराडीह पो— बिसेनी कला थाना— राजपुर जिला— रोहतास सीआर नं— 2025127920	पेट रोग गैस्ट्रो इन्डो	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रामप्रवेश चौधरी पिता— सिद्धेश्वर चौधरी ग्राम— परवलपुर पो+थाना— हिलसा जिला— नालदा सीआर नं— 2016822861	युरिनिल स्ट्रेस युरेथ्रोप्लास्टी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	योगेन्द्र राय पिता— स्व० लखन राय ग्राम— बेदौलिया पो०— मुशहरी फार्म थाना— मुशहरी जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 20241064160	Stent Block Urelogistics	80,000	अरसी हजार स्वीकृत।
6	बिपिन कुमार सिंह पिता— राम बचन सिंह ग्राम— छितराटाड पो०— तेलारी थाना— चेनारी जिला— रोहतास सीआर न०— 2025181297	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	अनिल कुमार पिता— प्रसाद राय ग्राम— गोडिया पो०— मठिया भोपत थाना— लखौरा जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न०— 2025138527	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
8	दीपांशु कुमार पिता— जीतेन्द्र कुमार ग्राम+पो०+थाना— वैशाली जिला— वैशाली सीआर न०— 2025011412	ई०एन०टी० रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	अरुण मोहन भगत पिता— मोहन भगत ग्राम— गैसपुर पो०— महिसौर थाना— जन्दाहा जिला— वैशाली सीआर न०— 2020462053	हेपेटाइटिस रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	पुष्पा देवी पति— अजीत कुमार सिंह ग्राम— बेलाढी पो०— तरारी थाना— दाउदनगर जिला— ओरगाबाद सीआर न०— 2015052390	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	ममता देवी पति— बैजनाथ महतो ग्राम— बजनी पो०— अमोलवा थाना— गौनाहा जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०— 20241093463	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

12	शिवशकर चौहान पिता— इन्द्रशन चौहान ग्राम— भेडिहारी थारू टोला पो0+थाना— वाल्मीकिनगर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2024967170	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	रजू देवी पति— मुकेश बैठा ग्राम— टिकरी पो0— प्रतापपुर थाना— हुसैनगज जिला— सिवान सीआर न0— 2024676016	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	लक्ष्मण मुखिया पिता— भोला मुखिया ग्राम— रामपुर बहेलिया पो0— बगही थाना— योगापट्टी जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2022903733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सुधा देवी पति— सुजीत कुमार ग्राम— दलदली रोड दानापुर पो0— दानापुर थाना— दानापुर जिला— पटना सीआर न0— 20241231183	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	उपेद्र प्रसाद पिता— राम अयोध्या प्रसाद ग्राम— मच्छहा पो0— सिरसा कॉलोनी थाना— मुफर्रिसल जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 2025010813	Chronic Calcific pan- creatitis with intra ductal calculi	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
17	सूरज प्रसाद पिता— शम्भू प्रसाद ग्राम— जमुनिया नया टोला पो0— मझरिया किशुन थाना— जगदीशपुर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न0— 2019780506	Diabetes	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
18	श्रेयाश कुमार पिता— विकास कुमार ग्राम— कोरैया पो0— आदापुर थाना— महुआवा जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 2024907287	Choledochel Cyst	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			19,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,20,000/- (उन्नीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बैली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ..196861.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 10095237548 खाता धारक जा
नाम—"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का
नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं
SBIN0007789 से अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित
मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर
लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर
चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की
राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक
ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के
साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारूप विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा
चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के
चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को
वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री
चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी०
आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह
के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

४०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक ९१९ (१५)

पटना, दिनांक ०२/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है
कि संलग्न चेक सं १९६४६/ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को
कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई ई मैनेजर,
स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
४/५/२५

स0 स0 14 / एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे ,
 मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट,
 किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
 गाढ़ी भेमोरियल एड एसोसियेट अस्पताल
 लखनऊ, उ० प्र०- 226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरकारी स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश प्रजापति पिता— कृष्ण पडित ग्राम— धरहरा पो०— सिसई थाना— भोरे जिला— गोपालगंज	ट्रामा / हेड इंजुरी / सर्जरी	1,40,000	एक लाख चालीस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरकारी स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरकारी स्थान/अस्पताल के खाता स0-20229846024 खाता धारक का नाम—CHIEF MEDICAL SUPERINTENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000K656 में अंकित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/चदम् नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी०

आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ: ४३
के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

०२५४/२०२५-

ज्ञापांक ९२० (१५)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६८६१ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
०२५४/२०२५-



स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे ,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी – 221005

पटना, दिनाक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक – 26.03.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सम्मान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	कौशल्या देवी पति— देव पूजन सिंह ग्राम— कर्णपुरा पो०+थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भमुआ एमआरडी नं०— 7228470	Viral Meningoencephelitis	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	गुडिया देवी पति— कन्हैया राम ग्राम— दुल्हपुर पो०— हरनाथपुर थाना— मोहनियॉ जिला— कैमूर भमुआ एमआरडी नं०— 6343813	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सत्यम कुमार पिता— जयनारायण राय ग्राम+पो०—जमुआ थाना— बैरगनिया जिला— सीतामढी एमआरडी नं०— 7189818	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रोहित कुमार राय पिता— बिनोद कुमार राय ग्राम+पो०— मुखराँव, थाना— कुछीला जिला— कैमूर भमुआ एमआरडी नं०— 6490978	न्यूरोलॉजी रोग कजरवेटिव	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
5	विजता देवी पति— रामजी सिंह ग्राम— जमुआ०व पो०— कुकुढा थाना— ईटाढी जिला— बक्सर एमआरडी नं०— 5306482	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सत्यनारायण चौधरी पिता— स्व० सीताराम चौधरी ग्राम— महुअरी पो०— अमेहता थाना— अगिओव बाजार जिला— भोजपुर एमआरडी नं०— 7150609	Dementia Hypertension	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत विशेष परिस्थिति मे।
7	कौशल कुमार पिता— राजकिशोर प्रसाद ग्राम— अजायबगज पो०— छपरा थाना— भगवान बाजार जिला— सारण एमआरडी नं०— 5987871	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 6,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,35,000/- (छ लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स० 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स० BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)

ज्ञापक 921(14)

पटना, दिनांक 02/04/2025

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि’— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/2025
निदेशक प्रमुख

पत्रांक 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी । 221004

पटना, दिनांक.. .

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अकज कुमार तिवारी पिता— चद्रभूषण तिवारी ग्राम— बभनटोली पो०— सबलपुर थाना— सोनपुर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राज किशोर मिश्रा पिता— राम अयोध्या मिश्रा ग्राम— लुल्हा धनाव पो०— धनाव थाना— बनियापुर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जुबेदा खातून पति— मो० कलाम साह ग्राम— बिशुनपुर पो०— बाराडीह थाना— काराकाट जिला— रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शकुंतला देवी पति— मृत्युंजय सिंह ग्राम— दयालपुर पो०— सिरिस थाना— बरुण जिला— औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रविन्द्र पाण्डे पिता— स्व0 केदार पाण्डेय ग्राम— मानिक परासी पो0— गोरख परासी थाना— काराकाट जिला— रोहतास	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत !
			4,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सर्थीय/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 . 196861द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सर्थीय/अस्पताल के खाता स0-36180579026, खाता धारक का नाम— **APEX WELCARE PVT. LTD** खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड स0-SBIN0009252 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्लौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 922 (14)

पटना, दिनांक 02/04/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 196861 ... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आईटी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

16/04/2025

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,
 होमी भाभा कैसर अस्पताल
 घंटी मिल रोड, लहरतारा,
 ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
 वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सतोष कुमार पिता— उमाशंकर प्रसाद ग्राम— झगरु लोहार की गली डुमराँव पो— डुमराँव थाना— डुमराव जिला— बक्सर केस फाईल न0—11एफ2024 / 014935	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रीना देवी पति— रविन्द्र यादव ग्राम— दादपुर पो— तरवा थाना— फतेहपुर जिला— गया केस फाईल न0—18एफ2024 / 020010	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मरछिया देवी पति— अर्जुन रावत ग्राम— मौजे एकडगा पो— भगवानपुर थाना— मीरगज जिला— गोपालगंज केस फाईल न0—18एफ2024 / 020786	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रामएकबाल सिंह पिता— लक्ष्मण सिंह ग्राम— बसन बिगहा पो— उसरी थाना— करपी जिला— अरवल सीआर न0— 18एफ2025 / 001676	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	धनन्जय कुमार पिता— स्व० अनिल कुमार दुबे ग्राम— मोहनिया पो०— शिवसागर थाना— शिवसागर जिला— रोहतास केस फाईल न०—16एफ2024 / 002211	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	मुकेश कुमार पिता— सूर्यदेव सिह ग्राम— जसौली पकौली पो०+थाना— पचरुखी जिला— सिवान केस फाईल न०—18एफ2024 / 019341	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अशोक कुमार सिंह पिता— अमर सिह ग्राम— जामापुर पो०+थाना— जीरादेह जिला— सिवान केस फाईल न०—16एफ2024 / 002480	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	पुष्पा कुमारी पति— अशुमन तिवारी ग्राम+पो०+थाना— चेनारी जिला— रोहतास केस फाईल न०—18एफ2025 / 002992	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मालती देवी पति— प्रदीप यादव ग्राम+पो०— देवहलिया थाना— रामगढ़ जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2025 / 000250	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	राजवश राम पिता— बचनु राम ग्राम— बसुहारी पो०— खजुरा थाना— बेलाव जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2025 / 003215	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	अनिल कुमार यादव पिता— चद्रेश्वर सिह ग्राम— ताराचक पो०— बडगाव थाना— अजीमाबाद जिला— भोजपुर केस फाईल न०—18एफ2024 / 019375	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	प्रभावती देवी पति— जमुना प्रसाद जायसवाल ग्राम— मटियारी पो०— देवहलिया थाना— रामगढ़ जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2024 / 003771	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	अमोद कुमार पिता— अशोका नन्द सिंह ग्राम— पटेल नगर बसी टिकर पो०— बिशनपुर जिच्छो थाना— सबौर जिला— भागलपुर केस फाईल नं०—11एफ2024 / 009514	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	बन्दना राय पति— अरुण राय ग्राम+पो०+थाना— गोपालपुर जिला— गोपालगञ्ज केस फाईल नं०—18एफ2024 / 009860	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	प्रमिला देवी पति— सोमनाथ सिंह ग्राम— गोखुला पो०— सेवहि थाना— तिलौथू जिला— रोहतास केस फाईल नं०—12एफ2023 / 003083	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	राजेश शर्मा पिता— जय किशोर शर्मा ग्राम— खुटहरी पो०— राजपुर थाना— बेलहर जिला— बाका केस फाईल नं०—18एफ2024 / 021565	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	आरती कुमारी पति— अशोक कुमार ग्राम— सोनी पो०+थाना— करगहर जिला— रोहतास केस फाईल नं०— सीयू/ 31930	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	राजेश कुमार पिता— जगदेव रजक ग्राम— राजकीय मिडिल स्कूल के पीछे नार्थ नेहरू नगर पो०— पाटलिपुत्रा थाना— पाटलिपुत्रा जिला— पटना केस फाईल नं०—18एफ2024 / 018632	कैसर रोग	2,20,000	दो लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
19	सावित्री देवी पति— हरिहर सिंह ग्राम— महुआरी पो०— ऊपरी थाना— रामगढ़ जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल नं०—18एफ2024 / 001077	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	परम हस सिह पिता— स्व० रामब्रत सिह ग्राम— पुसौली पो०— भिट्ठी थाना— मोहननियॉ जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2024 / 018024	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख रुपये।
21	सुगन्ती देवी पति— गुपा दास ग्राम+पो०+थाना— नवलपुर जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०— के०ई / 10211	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख रुपये।
			22,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,20,000/- (बाईस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैसर हॉस्पीटल, वाराणसी, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड स० CBIN 0280196 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वारूप विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 923(14)

पटना, दिनांक— 02/4/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 196861..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
 ARVACHIN HOSPITAL,
 Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,
 Akhari Bypass NH 2,
 (Near Delhi Public School)
 Varanasi 221011.

पटना, दिनाक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **26.03.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम जनम प्रसाद पिता— स्व रामजी राम ग्राम— मुबारकगज सासाराम पो+थाना— सासाराम जिला— रोहतास	हृदय रोग 3 स्टेन्ट	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **196861**.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता सं0 **50200088951405** खाता धारक का नाम— **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC Bank**, शाखा का नाम— **Lohita, RTGS/IFSC** कोड सं0 **HDFC0002166** में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता क्षेत्र”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक ९२५(१५)

पटना, दिनांक— ०२/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६८६..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका—२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. सैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे
 निदेशक,
 टाटा स्मारक अस्पताल,
 परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनाक ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 26.03.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राम विलाश साह पिता— हरिशचंद्र साह ग्राम— थरेसरी पो०— लाल सरैया थाना— मझौलिया जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0— 11एफ2024 / 009267	कैसर रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लखीद्र राम पिता— लालजी राम ग्राम+पो०— बथना महोदत थाना— गोरौल जिला— वैशाली केस फाईल न0— 11एफ2024 / 001325	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	कुमारी रिमझिम पति— शम्भू कुमार ग्राम— पिपराघाट पो०— झज्जारपुर थाना— लखनौर जिला— मधुबनी केस फाईल न0— सीवी / 35014	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	योगेन्द्र पडित पिता— स्व० अदालत पडित ग्राम— खेम मटिहनियॉ पो०— दुर्ग मटिहनियॉ थाना— विश्वम्भरपुर जिला— गोपालगञ्ज केस फाईल न0— 11एफ2024 / 018585	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

8

5	मुकेश कुमार पिता— पारस नाथ सिंह ग्राम— चकबीजगणि पो0+थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली केस फाईल न0— 11एफ2023 / 016852	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।
6	नुतन देवी पति— सूरज कुमार साह ग्राम— रोलबाग पो0+थाना+जिला— किशनगज केस फाईल न0— 11एफ2024 / 001724	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	रेनू देवी पति— निर्मल ठाकुर ग्राम— सिंगारपुर पो0— महुआ बाजार थाना— उदाकिशुनगज जिला— मधेपुरा केस फाईल न0— 11एफ2025 / 005072	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	जीतेन्द्र कुमार सिंह पिता— अजय सिंह ग्राम— श्यामचक पो0— छपरा थाना— भगवान बाजार जिला— सारण केस फाईल न0— 11एफ2023 / 037434	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			4,25,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान / अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...196861.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान / अस्पताल के खाता स0 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0284241 में अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. विकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के विकित्सोपरान्त विकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/ शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ९२५(१५)

पटना, दिनाक ०२/४/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० १९६८६१ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कांडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
के० ई०ए०० अस्पताल
एड सेठ जी०ए०० मेडिकल कालेज
परेल मुम्बई 400012

पटना, दिनांक

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवि कुमार प्रसाद पिता— शिव कुमार प्रसाद ग्राम— बतासी पो०— भदैया थाना— बाराचट्टी जिला— गया	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रासफर के माध्यम से आपके स्थान/अस्पताल के खाता स0 99350100000877 (S.B.), खाता धारक का नाम— K.E.M. Hospital, Poor Box Charity Fund, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम Bank of Baroda, शाखा का नाम— Parel Branch, RTGS/IFSC कोड स0— BARB0DBPARE में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/चृद्घन नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

- मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)


निदेशक प्रमुख।

ज्ञापांक ९२६ (१४)

पटना, दिनांक ०२/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० १९६४६/ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कड़िका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

८

स0स0 14 / एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा मे ,
 निदेशक,
 क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
 आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
 पी० बी० न०-३, भेल्लोर-६३२००४

पटना, दिनाक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सर्वथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	किरण देवी पति— अनिल कुमार ग्राम— चकविहारी पो०— नन्दलालाबाद थाना— गौरीचक, जिला— पटना सीएमसी न०— एआई 12786	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	धर्मवीर कुमार पिता— केदार साव ग्राम— हिलसा बिहारी रोड शर्मा लॉज, पो०+थाना— हिलसा, जिला— नालदा सीएमसी न०— एआई 16022	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मोहन प्रसाद गुप्ता पिता— पचना रोड भारत माता मदिर के निकट पो०+थाना+जिला— लखीसराय सीएमसी न०— 488836 पी	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	संगीता देवी पति— सुशील भगत ग्राम— भैलानारी पो०— सालहा, थाना— गोविन्दगज जिला— पूर्वी चम्पारण सीएमसी न०— 592240 पी	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	बिटेश कुमार पिता— यमुना राम ग्राम+पो०— सिकंदरा थाना— सिकन्दरा, जिला— जमुई सीएमसी न०— एए 04321	सिस्ट ल्यूपस ऐरिथ्रोसस	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

6	आदित्य वैभव पिता— विनय कुमार तिवारी ग्राम— अभुई पो०+थाना— दरौदा, जिला— सिवान सीएमसी नं०— 775291 एच	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
7	टीटू राणा पिता— मेघलाल राणा ग्राम— चितोखर पो०— कमालपुर थाना— टिकारी जिला— गया सीएमसी नं०— 437028 पी	रेनल ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			11,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,00,000/- (ग्यारह लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स०—36889551846, खाता धारक का नाम— C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस०बी०आई०, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स०—SBIN 0001618 मे अतरित किया जाता ।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलैसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना मे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 927 (14) पटना, दिनाक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-२ मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

अधीक्षक,

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन

एड रिसर्च, चडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक.....

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सरकारी स्वीकृति के लिए अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	निहार खातुन पति— मजूर आलम ग्राम— पलासी पो-0 हाटबलरामपुर थाना— अबादपुर जिला— कटिहार सीआर न0— 202404407638	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	कुमार गौरव सिंह पिता— मिथिलेश कुमार सिंह ग्राम+पो-0 कोरियापट्टी थाना— जदिया जिला— सुपौल सीआर न0— 202101281889	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अशु कुमार पिता— अरुण साह ग्राम— कुशहर पो+थाना— केसरिया जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 202404868401	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	आरुष शर्मा पिता— विवेकानन्द शर्मा ग्राम— सलेमपुर पो-0 सिकदरपुर थाना— शकुराबाद जिला— जहानाबाद सीआर न0— 202304940471	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			13,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,00,000/- (तेरह लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सरकारी/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0— 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली

रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं . 196861 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सर्थान/अस्पताल के खाता सं 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर—12, चंडीगढ RTGS/IFSC कोड सं 01524 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त 'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा—एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 928(14)

पटना, दिनांक 02/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख

सेवा मे,

निदेशक,
 अमृता इस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंस सेन्टर,
 माता अमृता नदा माई मार्ग,
 सेक्टर 88 फरीदाबाद,
 हरियाणा-121002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	तृशाण सिंह पिता— बिस्चजीत सिंह ग्राम— सग्रामपुर मठिया पो0+थाना— संग्रामपुर जिला— पूर्वी चम्पारण	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			5,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 19.6.8.61 . . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-019600100024481, खाता धारक का नाम— AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE. खाते का प्रकार— बैंक का नाम— DHANLAXMI BANK, शाखा का नाम— CROWN COMPLEX, NIT FARIDABAD, HARYANA, 121001, 196-FARIDABAD HARYANA, RTGS/IFSC कोड स0 DLXB0000196 मे अतिरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता  संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा AIIMS/CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा—एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 929 (16)

पटना, दिनांक 02/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं 196861 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई०बी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0 14 / एम 11-04/2018
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
 बिहार, पटना

930(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
 निदेशक प्रमुख
 सेवा में,
 निदेशक
 बी०ए०० बीडला, हार्ट रिसर्च, सेटर
 १/१ नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यु
 कोलकत्ता-७०००२७

पटना, दिनांक ०२/४/२०२५

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
 महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 26.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारात निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-४ में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शेख नियामुद्दीन पिता— शेख खेदारू ग्राम— निजामपुर पो०— रामपुर के टोला थाना— एम एच नगर जिला— सिवान	वास्कुलर सर्जरी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196861 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0— 2321020000000002, खाता धारक का नाम— बी०ए०० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—७/२ डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-७०००२७ ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स0 IOBA0002321 में अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के प्रथम उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ९३० (१५)

पटना, दिनांक ०२/५/२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं १७६८६/ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कड़िका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख